न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

निगरानी संख्या :– 03/2019

1. शिम्भूदयाल पुत्र सरदारा
2. धूणीलाल पुत्र शिम्भूदयाल
3. इन्द्राज पुत्र शिम्भूदयाल
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी मुहालो की कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुहाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत कुहाडा जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)
3. सीताराम शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी विराटनगर हाल निवासी मनोहरपुर जिला जयपुर

गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध नोटिस कमांक/ग्रा.प./कुहाडा/विराटनगर जयपुर 2018/19 एवं आदेश दिनांक 07/1/2019 मान्य अधिनस्थ सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुहाडा तहसील विराटनगर के द्वारा निगरानीकार की सम्पत्ति को अतिकमण मानकर हटाने को दिया गया है।

निर्णय दिनांक 08-02-2022

निगरानीकर्त्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज 1994 विरूद्ध नोटिस कमांक ग्रा./प/कुहाडा/विराटनगर जयपुर 2018/19 एवं आदेश दिनांक 07/01/2019 के द्वारा निगरानीकार की सम्पत्ति को अतिकमण मानकर उसे हटाये जाने बाबत सरपंच/ग्रा.विकास अधिकारी कुहाडा द्वारा जारी किया गया नोटिस के विरूद्ध निगरानी पेश की है। प्रस्तुत की गयी निगरानी में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. दिनांक 04/9/2018 को सीताराम शर्मा पुत्र घीसालाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुहाडा तहसील विराटनगर के द्वारा तहसीलदार विराटनगर के यहां चारागाह भूमि ख.न. 582/0.10 वाके ग्राम कुहाडा पर अतिकमण करने के तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर उन व्यक्तियों को गोचर भूमि पर अतिकमण करने से रोकने एवं प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध नहीं करने के बाबत दिया जाना बताकर तहसीलदार विराटनगर के द्वारा विकास अधिकारी विराटनगर को अपने पत्रांक रीडर/2018/62 दिनांक 15/10/2018 को चारागाह/आबादी भूमि पर ग्राम कुहाडा पर अतिकमण हटाने के सम्बन्ध में अतिकमियों को पाबन्द करन हेतु ग्राम पंचायत कुहाडा को लिखा जावें ताकि आबादी भूमि पर अतिकमण ना हो सके। शान्ति व्यवस्था कायम रह सके बाबत दिया गया तथा विकास अधिकारी विराटनगर के द्वारा 26/10/2018 को कमांक 573 के द्वारा मूल पत्र ही भेजकर हाल ख.नं. 583 गै.मु. आबादी ग्राम कुहाडा में अतिकमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत गैर निगरानीकर्त्ता को निर्देशित किया गया, जिस पर गैर निगरानीकार के द्वारा गैर निगरानीकर्ता को नोटिस एवं आदेश निगरानीकार को जारी किया गया जिससे व्यथित होकर निगरानीकार ने निम्न आधारों पर निगरानी पेश की है :–
2. यह है कि गैर निगरानीकार के द्वारा निगरानीकर्त्तागण् के विरूद्ध पारित नोटिस एवं आदेश वस्तुस्थिति के विपरीत होने से कानून एवं विधि विरूद्ध होने से सरसरी रूप से प्रथम दृष्टिया खारिज किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निगरानीकर्त्ता निगरानीधीन नोटिस एवं आदेश जारी करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।
4. यह है कि निगरानीधीन नोटिस एवं आदेश गैर निगरानीकार द्वारा के वल मात्र तहसीलदार विराटनगर जयपुर के पत्रांक रीडर/2018/62 दिनांक 16/10/2018 एवं विकास अधिकारी के पत्रांक प.सवि./पंचायत/2018/573 दिनांक 26/10/2018 एवं पटवारी हल्का की फर्द मौको दिनांक 05/9/2018 के जारी किया गया यानि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम पंचायत के किसी पंच या कर्मचारियों के द्वारा मौके की जांच नहीं करायी गयी ना ही किसी के द्वारा कोई मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट ही पेश की गयी। इसलिए निगराधीन नोटिस एवं आदेश निरस्त किये जाने लायक है।
5. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निगरानीकर्त्ता को हाल ख.नं. 583/0.43 गै0मु0 आबादी भूमि कुहाडा पर अतिक्रमण बाड लगाकर एवं छपपर बनाकर रखना एवं नोटिस प्राप्ति के पश्चात् सात दिवस के अन्दर अपना अतिक्रमण हटाकर ग्राम पंचायत को सूचित करने अन्यथा कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश जारी किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निगरानीकर्त्ता को अपना पक्ष एवं दस्तावेजात् पेश करने एवं कारण दर्शित किये जाने हेतु मय समस्त दस्तावेजात् के साथ नोटिस जारी नहीं किया है बल्कि निगरानीकर्त्तागण के कब्जे एवं अधिकार की सम्पत्ति को सीधे ही अतिक्रमण मानते हुये हटाने का आदेश जारी किया है जो विधिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि सीताराम शर्मा पुत्र घीसाराम शर्मा के द्वारा तहसीलदार विराटनगर के यहां प्रस्तुत आवेदन पत्र में निगरानीकर्त्तागण् के द्वारा हाल ख.नं. 583/0.43 गै.मु. आबादी भूमि पर अतिक्रमण करना नहीं बताया है ना ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मौका रिपोर्ट में उक्त गै0मु0 आराजी पर अतिक्रमण निगरानीकर्त्ता के द्वारा करना नहीं बताया है ना ही तहसीलदार विराटनगर के द्वारा विकास अधिकारी को जारी किये गये पत्र में कोई निगरानीकर्त्ता का उल्लेख नहीं किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्त्ता के विरूद्व किस आधार पर आदेश पारित किया है, जो तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश में कही भी अतिक्रमित भूमि का लम्बाई चौडाई का कही भी उल्लेख नहीं किया है तथा किस के द्वारा कब एवं किस्ना एवं किस प्रकार अतिक्रमण किया है इसका भी उल्लेख नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट होने के कारण अपास्त किये जाने लायक है।
8. यह है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 165 के अन्तर्गत पंचायत सार्वजनिक भूमियों पर अतिचार के मामलों का मत लगाने के लिए प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई माह में आबादी भूमि पर अतिचारियों का सर्वेक्षण करने के लिए तीन पंचों की समिति बनाने एवं अतिचार की सचिव द्वारा एक रजिस्टर में पृविष्टि की जायेगी विहित है। यदि निगरानीकर्त्ता द्वारा कोई अतिक्रमण किया जावे तो ग्राम पंचायत के पास संधारित रजिस्टर में अंकन होना चाहिए लेकिन निगरानीकर्त्ता द्वारा कोई अतिक्रमण ही नहीं किया है।
9. यह है कि वस्तुस्थिति यह है कि गै0मु0 आबादी भूमि हाल खसरा नम्बर 538 में कुहाडा मोड से कुहाडा जाने वाली सडक से लगती हुयी पूर्व की तरफ निगरानीकार संख्या 1 के कब्जे एवं अधिकार में भूमि उत्तर दक्षिण पश्चिम की तरफ 193 फिट पूर्व की तरफ 200 फिट एवं पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ 13 फिट एवं दक्षिण की तरफ 126 फिट भूमि स्थित है जिसमें निगरानीकार संख्या 01 का करीब 30 वर्षों से मय परिवार कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा है, जिसमें निगरानीकर्त्ता के अलावा अन्य किसी का कब्जा एवं अधिकार नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि पर कच्चे घर करीब 20 वर्षों से बने हुये है जहां निवास कर अपने पशुधन कृर्षियन्त्र कृर्षि उपज एवं ईधन पूले इन्यादि रखते है। उक्त कब्जे एवं अधिकार की भूमि के बाबत निगरानीकर्त्ता संख्या 02 ने दिनांक 28/8/2002 को ग्राम पंचायत कुहाडा पंचायत समिति विराटनगर में पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तक संख्या 2

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

रसीद संख्या 154 के जरिये 60/– रूपये आवेदन शुल्क एवं मौका शुल्क एवं नक्शा शुल्क जमा कराये है जा पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 24 है। यह है कि निगरानीकर्त्तागण के अलावा उक्त गै0मु0 आबादी भूमि हाल खसरा नम्बर 538 में अन्य लोगों के भी मकान कच्चे घर बाडे बने हुये हैं तथा उक्त ख.नं. उपयोग उपभोग में काम आ रहा है। निगरानीकर्त्तागण द्वारा आराजी ख.नं. 583 या 582 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि निगरानीकर्त्ता का हाल ख.नं. 583 गै0मु0 आबादी पर पुराना कब्जा है।

10. यह है कि पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 165 के उप नियम 4 के अन्तर्गत पुराने कब्जो को विनियमन बाजार की कीमत पर आवंटित करने एवं नियम 156 के अन्तर्गत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के बाबत उल्लेख किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्त्व का दावा न्याय संगत हो ओर निलामी से उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती है तथा जहां कोई अतिचार हो या अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निर्वतन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा तो भूमि का अन्तरण किया जा सकता है। निगरानीकर्त्तागण का पुराना कब्जा होने के कारण उक्त प्रावधानों के तहत् ग्रा.पं. को विनिमयन एवं प्राईवेट बातचीत के द्वारा आबादी भूमि का अन्तगरण किया जाना चाहिए था किन्तु काननू प्रावधानों का गौर किये बिना निगरानीधीन आदेश पारित किये है, जो गलत है।

11. यह है कि तहसीलदार विराटनगर के द्वारा विकास अधिकारी को आबादी भूमि बाबत किसी भी तरह को आदेश दिये जाने की कोई अधिकारितका नहीं है फिर भी विकास अधिकारी के द्वारा प्रकरण में कोई स्वतंत्र जांच नहीं कराकर ग्रम पंचायत को गै0मु0 आबादी ख.नं. 583 बाबत आदेश जारी कर अहम कानूनी भूल की है।

12. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा ना तो ग्राम पंचायत कुहाडा में कोई मामला कोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव पारित किया ना ही इस बाबत कोई जाच की गयी इसलिए भी प्रश्नगत नोटिस अपास्त किये जाने लायक है।

13. यह है कि प्रस्तुत निगरानी की सुनवायी का अधिकार श्रीमान् न्यायालय हाजा को है तथा निगरानी आदेश व नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/01/2019 को पारित किया गया है। इसलिए निगरानी अन्दर मियाद 30 दिवस प्रस्तुत है।

14. यह है कि निगरानी निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः निगरानी मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार के द्वारा दिनांक 07/01/2019 कमांक ग्रा./प./कुहाडा/विराटनगर/जय/2018–19/01 को निगरानीकर्त्तागण के विरूद्व जारी आदेश एवं नोटिस को निरस्त किया जाकर कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

15. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पाये जाने पर गैर निगरानीकर्त्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से डॉ. ललित शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये।

16. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सीताराम शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा निवासी कुहाडा द्वारा प्रा.पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार 01 आर 10 सीपीसी का पेश किया जिसे बाद सुनवायी कर दिनांक 30/3/2021 को रेस्पोडेन्ट/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 पक्षकार संयोजित किया गया तथा उनके वकील उपस्थित आये।

17. गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। प्रस्तुत जवाब में गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 द्वारा निगरानीकर्त्ता को दिनांक 07/01/2019 को 16/1/2019 को तथा 22/01/2019 को नोटिस दिये गये थे। उक्त वर्णित तीनो नोटिस तहसीलदार विराटनगर विकास अधिकारी पं.स. विराटनगर एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये थे जो प्रर्याप्त समय नोटिस के बाद दिया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल है। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 स्वयं निगरानीकार के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे। ग्रा.पं. द्वारा निगरानीकार के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं करने पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा तहसीलदार विकास अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। निगरानीकर्त्ता को नोटिस के सम्बन्ध में पर्याप्त समय दिया गया था

अति. जिला कलक्टर
(जयपुर)

यदि उनके पास अधिग्रहण दस्तावेजात् होते तो वह समय अवधि में पेश करता। निगरानीकर्त्ता अधिग्रहण बाबत दस्तावेजात् पेश करने में असफल रहा है। इसलिए निगरानीकार निश्चय ही ख.नं. 583 वाके ग्राम कुहाडा की भूमि का अतिक्रमी रहा है। पटवारी हल्का ने भी उक्त ख.नं. 583 के आंशिक भाग पर कडबी डालकर व तारबंदी कर कब्जा किया हुआ बताया है। इसलिए निगरानीकर्त्ता एक अतिक्रमी है। निगरानीकर्त्ता ने कहा है कि वर्ष 2002 में पट्टा पत्रावली पेश कर दी गयी थी। यदि निगरानीकार का वास्तविक कब्जा था तो ग्राम पंचायत द्वारा आज तक पट्टा जारी क्यो नहीं किया जाहिर है कि ग्राम पचायत नियमों के विरूद्व जाकर अतिक्रमण को कब्जा मानकर पट्टा जारी नही कर सतकी है। निगरानीकर्त्ता द्वारा तार बाऊण्ड्री 01 वर्ष से किया जाना बताया गया है यदि निगरानीकार का कब्जा आबादी भूमि पर होता तो पटवारी हलका अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता किन्तु निगरानीकर्त्ता का पूरी तरह अतिक्रमण माना है। गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा निगरानीकर्त्ता के उक्त अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार विराटनगर को की थी, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट प.ह. से तलब की गयी किन्तु क्षेत्राधिकार ग्रा.प. कुहाडा होने से कार्यवाही हेतु ग्रा.पं. को लिखा जाना एक कानूनी प्रकिया है ना की कानूनी भूल है। ग्राम पंचायते पंचायत समिति के अधीन आती है। इसलिए तहसीलदार द्वारा कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को लिखा गया है। यह विधिक प्रकिया है। ग्राम.पं. कोरम मे प्रस्ताव लेकर नोटिस जारी करें यह प्रावधान नहीं है। इस प्रकार निगरानीकार का अतिक्रमण प्रथम दृष्टया क अतिक्रमण है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम नोटिस के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए था किन्तु ग्रा.पं. के शिथिल रवैया के कारण निगरानीकार को नोटिस पर नोटिस जारी किये गये जिस पर ठोस कार्यवाही नहीं की है। इसलिए निगरानीकार की हैसियत एक अतिक्रमण से अधिक नहीं है। ग्रा.पं. ने कोई विधि विरूद्व कार्यवाही नहीं की है। नोटिस निरस्त ना होकर कार्यवाही योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाते हुये ग्राम पंचायत को स्पष्ट आदेश देवें कि वह मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का के अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त जवाब में यह भी वर्णित किया है कि ख.नं. 583 निगरानीकर्त्ता द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में हाई कोर्ट मे सिविल रिट पिटिशन 5451/2019 विचाराधीन है।

18. बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया है कि निगराधीन नोटिस एवं आदेश गैर निगरानीकार द्वारा केवल मात्र तहसीलदार विराटनगर जयपुर के पत्रांक रीडर/2018/62 दिनांक 15/10/2018 एवं विकास अधिकारी प.सं. विराटनगर के पत्रांक पसवि/पंचायत 2018/573 दिनांक 26/10/2018 एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट 05/9/2018 में जारी किया गया है, जिसकी ग्राम पंचायत के पंच या कर्मचारियों से जांच नहीं करायी बल्कि निगरानीकर्त्तागण् के कब्जे एवं अधिकार की सम्पत्ति को सीधे ही अतिक्रमण मानते हुये हटाने के आदेश जारी किये है जबकि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा तहसीलदार विराटनगर के यहां प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निगरानीकर्त्ता का हाल ख.नं. 583/0.43 गै.मु. आबादी भूमि पर कोई अतिक्रमण होना नहीं बताया है तथा पटवारी हल्का की फर्द रिपोर्ट मे भी कोइ अतिक्रमण होना नहीं बताया है। तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रों में निगरानीकर्त्ता के नाम का कही उल्लेख नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी आधार पर आदेश पारित किया है जो तथ्यों के विपरीत है जिसे अपास्त किये जाना उचित है, जबकि मौके की वस्तुस्थिति यह है कि गै0मु0 आबादी भूमि हाल ख.नं. 583 में कुहाडा मोड से कुहाडा जाने वाली सडक से लगती हुयी पूर्व की तरफ निगरानीकार संख्या 1 के कब्जे एवं अधिकार की भूमि उत्तर पश्चिम की तरफ 193 फुट पूर्व की तरफ 200 फुट एवं पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ 13 फुट एवं दक्षिण की तरफ 126 फिट भूमि स्थित है, जिस पर निगरानीकार संख्या 1 का करीब 30 वर्षों से मय परिवार कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा है, जिसमें निगरानीकार के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा अधिकार सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि पर कच्चे घर करीब20 वर्षों से बने हैं जहा पर निवास कर पशुधन कृषियन्त्र आदि रखते है। उक्त कब्जे एवं अधिकार की भूमि बाबत निगरानीकर्त्ता संख्या 2 द्वारा

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

28/8/2002 को ग्राम पंचायत कुहाडा प.सं. विराटनगर में पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रसीद संख्या 54 के जरिये 60/– रूपये आवेदन, मौका एवं नक्शा शुल्क जमा कराये है। हाल खसरा नम्बर 583 अन्य लोगों के कच्चे घर बाडे बने हुये हैं तथा उक्त आबादी की भूमि उपयोग उपभोग में काम आ रही है। निगरानीकर्त्तागण् का उक्त ख.नं. पर पुराना कब्जा है तथा तारों की बाऊण्ड्री कर रखी है। इस प्रकार निगरानीकर्त्तागण् का पुराना कब्जा है। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 के उप नियम 4 एवं नियम 156 के अन्तर्गत उक्त प्रावधानों के तहत् ग्रा.पं. को विनियमन एवं प्राईवेट बातचीत के द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण किया जाना चाहिए था। उक्त कानूनी प्रावधानों का बिना गौर किये आदेश पारित किया है जो गलत एवं विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो ग्राम पंचायत कुहाडा में मामला कोरम के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्ताव पारित कराया है ना ही इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कही भी अतिक्रमित भूमि की लम्बाई चौडाई का कही भी उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता के विरूद्व पारित नोटिस एवं आदेश वस्तुस्थिति से विपरीत एवं विधि विरूद्व है। अतः निगरानीकर्त्ता के विरूद्व जारी आदेश एवं नोटिस कार्यवाही समाप्त करने के आदेश फरमावें।

19. गैर निगरानीकर्त्ता की बहस सुनी गयी। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अभिकथन किया है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्त्ता को दिनांक 07/01/2019, 16/01/2019 तथा 22/01/2019 को नोटिस जारी किये है। उक्त नोटिस तहसीलदार/विकास अधिकारी विराटनगर एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिये गये है। उक्त नोटिसों के द्वारा निगरानीकर्त्ता को पर्याप्त समय दिया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 तथा ग्रा.पं. कुहाडा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 के द्वारा प्रा.पत्र तहसीलदार विराटनगर के समक्ष पेश किया । निगरानीकर्त्ता को पर्याप्त समय मिला है। यदि उनके पास अधिग्रहण बाबत दस्तावेजात् होते तो वह समय अवधि में पेश करते । इसलिए अधिग्रहण दस्तावेजात् पेश करने में असफल रहा है। निगरानीकार प्रश्नगत ख.नं. 583 वाके ग्राम कुहाडा की भूमि का अतिक्रमी है। पटवारी हल्का ने भी ख.नं. 583 के आंशिक भाग पर कडबी डालकर तारबंदी कर कब्जा किया होना बताया है। निगरानीकर्त्ता द्वारा पट्टा पत्रावली वर्ष 2002 में पेश करना बताया है। यदि निगरानीकार का वास्तविक कब्जा था तो उनके पक्ष में पट्टा आज तक जारी क्यों नहीं हुआ। निगरानीकर्त्ता द्वारा तार बाऊण्ड्री करना बताया है। यदि निगरानीकर्त्ता का कब्जा आबादी भूमि में होता तो पटवारी हल्का अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करता बल्कि निगरानीकर्त्ता को पूर्ण रूप से अतिक्रमी माना है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार विराटनगर को की थी इस बाबत पटवार हल्का से रिपोर्ट ली गयी किन्तु क्षेत्राधिकार ग्रा.पं. का होने से प.ह. एवं ग्राम पंचायत को लिखा गया जो कानूनी प्रक्रिया है। निगरानीकर्त्ता का यह कहना है कि कोरम में प्रस्ताव लेकर ही नोटिस जारी करना चाहिए था। यह प्रावधान किसी भी नियमों में नहीं है। ग्राम पंचायत को प्रथम नोटिस देने पर ही निगरानीकर्त्ता के द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए था किन्तु ग्रा.पं. द्वारा नोटिस पर नोटिस दिया गया। ग्रा.पं. शिथिल रवैया अपनाया जाकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की हे। इसलिए निगरानीकार एक अतिक्रमी से अधिक हैसियत नहीं रखता है। इसलिए निगरानीकर्त्ता के विरूद्व जारी नोटिस निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। कार्यवाही योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारित फरमावे तथा ग्राम.पं. को आदेश प्रदान करें कि मुताबिक प0ह0 की मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण को शीघ्र हटावें।

20. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड साक्ष्य सबूत एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत कुहाडा द्वारा निगरानीकर्त्ता को दिनांक 07/01/2019 को 16/01/2019 को तथा 22/01/2019 को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 सीताराम शर्मा द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की आबादी भूमि के लगती हुयी खातेदारी भूमि है। उक्त गै0म0 आबादी भूमि

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

में जलदाय विभाग का पम्प हाऊस बना हुआ है। उक्त गै0मु0 आबादी भूमि में से होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता है। उक्त रास्ते में कडबी डालकर तारबंदी कर आवाजाही बन्द कर दी है, जिस पर प0ह0 की रिपोर्ट मुताबिक आ.ख.नं. 583 के आंशिक भाग पर कडबी डाल कर तारबंदी कर अतिकमण होना बताया गया। चूँकि आबादी भूमि का प्रकरण होने से विकास अधिकारी/ग्रा.प. को तहसीलदार द्वारा लिखा गया है। प्रकरण ग्रा.प. का क्षेत्राधिकार होने से अतिकमण बाबत उक्त नोटिस निगरानीकर्त्ताओं को दिया गया है। निगरानीकार को उक्त नोटिसों में पर्याप्त समय मिला है। उन्होंने अपने पक्ष में कोई अधिग्रहण/कब्जा सम्बन्धित कोई दस्तावेजात् पेश नहीं किये है। इससे स्पष्ट है कि आ.ख.न 583 गै0मु0 आबादी में निगरानीकर्त्ता अतिकमी है । ना ही निगरानीकर्त्ता द्वारा ग्रा.पं. से पट्टा जारी कराया है। पटवारी हल्का ने कही भी निगरानीकर्त्ता का कब्जा होना अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है। निगरानीकर्त्ता का अतिकमण ही उक्त ख.नं. में आंशिक बताया है। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता अपने समर्थन में कब्जा बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेजात् पेश नहीं किये है, जिससे उक्त आ.ख.नं. में निगरानीकर्त्ता को कब्जा हो। वकील गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 के द्वारा यह जाहिर किया है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 ग्रा.पं. कुहाडा द्वारा शिथल रवैया अपनाया जाकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है केवल नोटिस पर नोटिस जारी किये है। उक्त भूमि पर जलदाय विभाग का पम्प सैट लगा हुआ है तथा प्रस्ताव लिख जाकर उक्त भूमि को ग्रा.पं. द्वारा आरक्षित की है। इसलिए उक्त प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकर्त्ता का कोई किसी प्रकार का कब्जा/अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त निगरानी चलने योग्य नही है। चूँकि निगरानीकर्त्ता के समर्थन में अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रश्नगत भूमि बाबत कोई पट्टा या अधिग्रहण बाबत कोई दस्तावेजात् नहीं है। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता उपरोक्त दस्तावेजात् पेश करने में असफल रहा है। निगरानीकार प्रश्नगत भूमि ख.नं. 583 गै0मु0 आबादी ग्राम कुहाडा की भूमि का अतिकमी है। इसलिए निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी खारिज की जाती है तथा आराजी ख.नं. 583 गै0मु0 आबादी भूमि में निगरानीकर्त्ता द्वारा किया गया अतिकमण को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)